2024/82
2025/118

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.

(1) प्रकरण संख्या 01 / 2024 (डूंगरपुर डिकी)

1. देवीलाल पिता नानीया कटारा मीणा
2. सुरमाल पिता नानीया कटारा मीणा
3. जयन्ति पिता नानीया कटारा मीणा
4. गणेश पिता नानीया कटारा मीणा
5. सुश्री शान्ता पुत्री नानीया कटारा मीणा
6. सुश्री अनीता पुत्री नानीया कटारा मीणा

सर्व निवासीयान मालपुर, तहसील व जिला डूंगरपुर (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. लक्ष्मण पिता धनजी कटारा मीणा, निवासी मालपुर, तहसील व जिला डूंगरपुर (राज.)
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, डूंगरपुर (राज.)

................रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहस:–1. श्री शैलेष भण्डारी अभिभाषक अपीलान्टगण
2. श्री अल्लानूर अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1

(2) प्रकरण संख्या 06 / 2025 (डूंगरपुर डिकी)

1. सुरमाल पिता स्व. नानीया कटारा मीणा
2. मोहन पिता स्व. रामा कटारा मीणा
3. ईश्वर पिता स्व. रामा कटारा मीणा

सर्व निवासीयान मालपुर, तहसील व जिला डूंगरपुर (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. लक्ष्मण पिता धनजी कटारा मीणा
2. मरती पुत्री धनजी कटारा मीणा
3. हाजीया पुत्र धनजी कटारा मीणा
4. गलाली पुत्री धनजी कटारा मीणा
5. देवीलाल पिता नानीया कटारा मीणा
6. जयन्ति पिता नानीया कटारा मीणा
7. गणेश पिता नानीया कटारा मीणा
8. सुश्री शान्ता पुत्री नानीया कटारा मीणा

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.01.29 11:07:13 IST
Reason: SelfAttested

भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

9. सुश्री अनीता पुत्री नानीया कटारा मीणा
10. श्रीमती देवीली बेवा नानीया कटारा मीणा
11. अनिल पिता रामा कटारा मीणा
12. श्रीमती कमला पुत्री रामा कटारा मीणा
13. श्रीमती सुशीला पुत्री रामा कटारा मीणा
14. श्रीमती सविता पुत्री रामा कटारा मीणा
15. श्रीमती जीजा पुत्री रामा कटारा मीणा
16. श्रीमती केशर पुत्री धनजी कटारा मीणा

सर्व निवासीयान मालपुर, फला डूंडली, तहसील व जिला डूंगरपुर (राज.)

17. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, डूंगरपुर (राज.)

................रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहस:–1. श्री मुकेश भट्ट अभिभाषक अपीलान्टगण
2. श्री आशीष दोवडिया अभिभाषक रे. सं. 1

---/---

अपीलें अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अ॰–1955 विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, डूंगरपुर दिनांक 03.01.2022 प्रकरण सं0 110/2017

---::---

निर्णय **दिनांक 09–10–2025**

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 53, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण मूल पुरूष धनजी पिता थावरा की संतान है, जिनका पारिवारिक सज़रा निम्नानुसार है :–

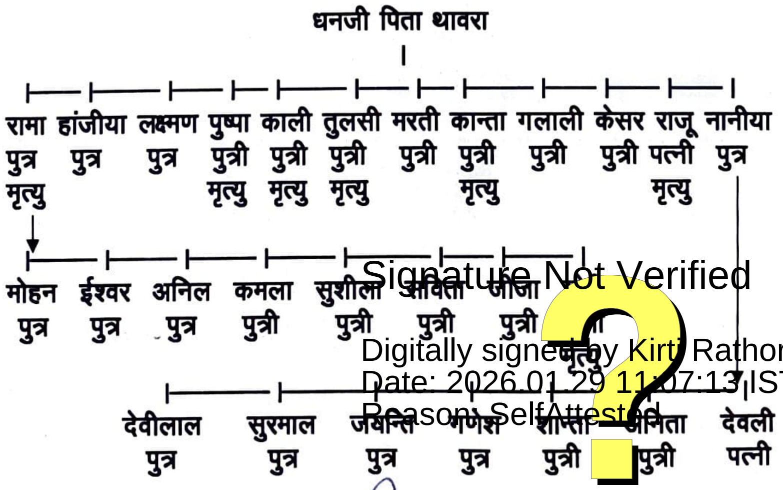

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.01.29 11:07:13 IST
Reason: SelfAttested

उप-प्रखण्ड अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
डूंगरपुर (राज.)

उपरोक्त सजरे अनुसार मूलपुरूष मृतक धनजी की पुत्रियां पुष्पा, काली, तुलसी, कान्ता की मृत्यु हो चुकी है, जिनके संयुक्त खाते की आराजियात मौजा मालपुर के खाता संख्या 87 नया व 79 पुराना जमाबन्दी संवत् 2070 से 2073 में स्थित होकर कुल किता 31 रकबा 27 बीघा 2 बिस्वा है, जिसका विवरण वाद पत्र की कलम संख्या 2 अनुसार है। वादी एवं प्रतिवादीगण अनुसूचित जनजाति के आदिवासी हैं एवं आदिवासी समुदाय में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होता है तथा पुत्रियों का सम्पत्ति में कोई हक अधिकार नहीं होता है। इस प्रकार मूल पुरूष धनजी के 4 पुत्र रामा, हांजीया, लक्ष्मण व नानीया होकर प्रत्येक का 1/4, 1/4 हिस्सा है एवं इसी अनुसार काबिज हैं। आपसी बंटवारा हेतु प्रतिवादी संख्या 8 से 15 सहमत हैं, किन्तु नानीया के वारिस प्रतिवादी संख्या 1 से 7 सहमत नहीं हैं एवं अनावश्यक विवाद करते हैं। अतः वादी का वाद स्वीकार कर विवादित आराजियात का पक्षकारान के मध्य 1/4, 1/4 हिस्से अनुसार मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जावे तथा धनजी की पुत्रियां मृतक प्रतिवादी संख्या 16 से 18 एवं श्रीमती कान्ता व पत्नी श्रीमती राजू का नाम विलोपित किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, सत्यमेव जयते, उदयपुर

2. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 16–07–2019 को वादी का वाद स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की गयी, तत्पश्चात प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 03–01–2022 को अंतिम डिक्री जारी की गयी तथा दिनांक 27–09–2022 को संशोधित अंतिम डिक्री जारी की गयी।

3. उक्त अंतिम डिक्री दिनांक 03–01–2022 से रूष्ट होकर अपील संख्या 01/2024 अपीलान्टगण/प्रतिवादी संख्या 1 से 6 द्वारा इस न्यायालय में दिनांक 19–04–2024 को प्रस्तुत की गयी है, जबकि अपील संख्या 06/2025 अपीलान्टगण/प्रतिवादी संख्या 2, 9 व 10 द्वारा इस न्यायालय में दिनांक 03–01–2025 को प्रस्तुत की गयी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.01.29 11:07:13 IST
Reason: SelfAttested

4. दोनों अपीलें दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को [illegible] टिस जारी किये जाने पर रेस्पोडेन्ट संख्या [illegible] अनुसार उपस्थित हुए तथा उनकी ओर से लिखित बहस प्रस्तुत की गयी, जो

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

पत्रावली के रेकार्ड पर है। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

5. दोनों अपीलों में विवादित आराजियात तथा पक्षकारान समान होने तथा अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 110/2017 में पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 03–01–2022 के विरूद्ध होने से दोनों अपीलों का एक ही निर्णय लिखाया जा रहा है। निर्णय की एक–एक प्रति संबंधित पत्रावली पर रखी जावे।

6. दोनों अपीलें विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने से उनकी ओर से धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये तथा देरी के कारणों का उल्लेख करते हुए देरी को क्षमा किया जाकर अपील अन्दर अवधि शुमार किये जाने का निवेदन किया गया तथा ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये।

7. हमने बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। दोनों प्रकरणों में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में दोनों अपीलों की मयाद कण्डोन की जाकर अपीलें श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

8. दोनों अपीलों के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए वक्त बहस निवेदन किया कि अपीलान्टगण द्वारा बंटवारा प्रस्ताव पर आपत्ति की कि अपीलान्ट के हिस्से में आयी सड़क साईड की भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 हड़पना चाहता है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस पर कोई गौर नहीं किया। मौके पर कब्जे अनुसार विभाजन नहीं किया गया है तथा सूचना पत्र जारी नहीं किये गये हैं। विभाजन में आराजी नंबर 1003, 1004 व 1005 को सम्मिलित रखा गया है। बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार द्वारा नहीं बनाया गया है तथा मौके पर कीमती भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को दे दी गयी है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 03–01–2022 अपास्त की जाकर निर्णय व डिक्री में सुथार किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

9. उक्त दोनों अधिवक्ताओं की [illegible] अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी लिखित बहस में वर्णित तथ्यों [illegible] पुनः दोहराते हुए

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.01.29 11:07:13 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
उदयपुर

प्र–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

बताया कि बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार व पटवारी हल्का द्वारा पक्षकारों की उपस्थिति में बनाया गया है, किन्तु अपीलान्टगण ने हस्ताक्षर करने से इंकार कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में साक्ष्यों के आधार पर निर्णय पारित किया है तथा विभाजन नियम 18 से 21 की पालना की गयी है। अतः अपील खारिज की जावे।

10. हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। बंटवारा प्रस्ताव एवं संलग्न नक्शा ट्रेस पर अपीलान्टगण के हस्ताक्षर नहीं है, जिससे स्पष्ट होता है कि बंटवारा प्रस्ताव अपीलान्टगण की अनुपस्थिति में बनाया गया है। इसके अलावा हम यह भी पाते हैं कि बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार द्वारा तैयार नहीं किया जाकर पटवारी हल्का द्वारा तैयार किया गया है, जबकि स्वयं तहसीलदार को पक्षकारान को सूचित कर उनकी उपस्थिति में बंटवारा प्रस्ताव तैयार करना चाहिए था। हम यह भी पाते हैं कि कई आराजियात का विभाजन नहीं किया जाकर उन्हें पक्षकारों के सम्मिलित रखा गया है, जिससे स्पष्ट है कि विभाजन नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गयी है। ऐसी स्थिति में उक्त बंटवारा प्रस्ताव के आधार पर जारी अंतिम डिक्री प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

11. अतः दोनों अपीलें अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 03–01–2022 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में तहसीलदार स्वयं पक्षकारों को सूचना पत्र जारी कर उनकी उपस्थिति में बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें, तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय प्राप्त विभाजन के आधार पर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 01–12–2025 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 09–10–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.01.29 11:07:13 IST
Reason: SelfAttested

(कीर्ति ...)
... अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उद...